

19/9/19 को लिखित दिवानी बाबत वाद
को Not Press करने हेतु की वी किंतु
उक्त दिवानी के पर्याप्त निश्चित दिनांक
को न्यायालय की कार्यवाही नहीं हो सकी
अतः आज वकील वदी के निवेदन को
स्वीकार किया जाकर उक्त को वकील
वकील वदी की जमानत के आधार पर
जरीया Not Press करीज किया जाता है।
मिसल के मूल शर्तों को नकार के लिये ही
निर्णय आज दिनांक 11/10/19 को उक्त न्यायालय
में सुनाया गया।

सहा न्यायालय
महोदय

